श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0, आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.2025 को 11:30 बजे पूर्वा0 से प्रमंडलीय सभागार, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया में आयोजित कटाव पीड़ित परिवारों के पुनर्वासन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति– पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

सभी जिला से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी।

1. पूर्णिया जिला

पूर्णिया जिला के प्रतिवेदन में मात्र 5 मामला अंकित किया गया है। जिसमें सभी कटाव पीड़ित परिवारों का पुनर्वासन किया जा चुका है। समाहर्त्ता, पूर्णिया इसकी समीक्षा कर लेंगे कि पूर्व का अन्य कोई मामला लंबित नहीं है।

2. कटिहार जिला

कटिहार जिला का प्रतिवेदन अंचलवार समर्पित किया गया है। कुर्सेला एवं बरारी अंचल में पुनर्वासन की कार्रवाई पूरा करने का प्रतिवेदन है। मनिहारी अंचल में कटाव पीड़ितों के 9 मामले प्रतिवेदित है जिसके अनुसार कुल 3476 पीड़ित परिवारों का पुनर्वासन हेतु कार्रवाई नहीं की गयी है तथा अधिकांश मामलें काफी पुराने हैं। अमदाबाद अंचल में मौजा बेलगच्छी में 21 विस्थापित परिवारों का प्रतिवेदन है जिसमें अस्थायी रूप से बसाने का प्रतिवेदन अंकित है। यह मामला वर्ष 2024 का है।

समाहर्त्ता, कटिहार को आदेश दिया जाता है कि मनिहारी अंचल के विस्थापित परिवारों के मामलों की स्थलीय जॉच कराकर यथाशीघ्र पुनर्वासित करने हेतु विभागीय प्रावधानों के अनुसार सभी कार्रवाई करेंगे। साथ ही यह सुनिश्चित हो लेंगे कि उक्त सभी परिवारों को आपदा राहत का सभी मुआवजा भुगतान हुआ है अथवा नहीं?

3. अररिया जिला

अररिया जिला के प्रतिवेदन के अनुसार जोकीहाट अंचल के मौजा गैरकी मसुरिया में 52 विस्थापित परिवार का मामला बताया गया है। जो कटाव 2022 का है। प्रतिवेदन के अनुसार अभिलेख स्वीकृति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया को भेजा गया है। समाहर्त्ता, अररिया को आदेश दिया जाता है कि समीक्षा कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि अन्य कोई मामला लंबित नहीं है। पीड़ित विस्थापित परिवारों के मामले के संबंध में आवश्यक स्थलीय जॉच कराकर सुयोग्य भूमि पर विस्थापित परिवारों को विभागीय प्रावधानों के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए अभिलेख अधिकतम तीन सप्ताह के अंदर उपलब्ध करावें।

4. किशनगंज जिला

किशनगंज जिला के प्रतिवेदन के अनुसार सभी मामले सितम्बर 2024 के बाढ़ के है। इसमें अधिकांश में तत्काल राहत यथा पॉलीथीन शीट्स, फुड पैकेट एवं गृहक्षति मुआवजा भुगतान अभी तक अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज के पास लंबित है। यह चिंताजनक है। पुनर्वासन के संबंध में प्रतिवेदन में कोई बिन्दु अंकित नहीं है।

समाहर्त्ता, किशनगंज को निदेशित किया जाता है कि इसकी समीक्षा करेंगे तथा इतने लंबी अवधि तक अनुमान्य राहत कटाव पीड़ित परिवारों को उपलब्ध नहीं कराने के लिए दोषी पदाधिकारी को चिन्हित करते हुए प्रपत्र–क दो सप्ताह के अंदर उपलब्ध करावें। पुनर्वासन हेतु सभी अभिलेख तीन सप्ताह के अंदर उपलब्ध करावें।

समाहर्त्ता, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को निदेशित किया जाता है कि शत–प्रतिशत कटाव के मामलों का प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। इस हेतु सभी अंचल अधिकारी से प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेंगे। विस्थापित परिवारों को सरकारी प्रावधान के अनुसार जमीन के साथ–साथ आवास योजना, शौचालय आदि का लाभ देने हेतु समांतर कार्रवाई की जाय। विस्थापित परिवारों को यथाशीघ्र उचित स्थल पर पुनर्वासित करते हुए अन्य सुविधाएँ मुहैया कराना राजस्व पदाधिकारियों का मूल दायित्व है, इसका ध्यान रखा जाय।

अगली बैठक दिनांक 30.04.2025 को आहुत की जाएगी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

ज्ञापांक–1759/पूर्णिया, दिनांक–08/4/25

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

ज्ञापांक–1759/पूर्णिया, दिनांक–08/4/25

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर समर्पित।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर समर्पित।

08/4/2025.

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

O/c